(10) संविदा कार्मिक की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।

(11) संविदा कार्मिक का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। सेवा संतोषजनक होने और आवश्यकता होने पर कार्य एवं आचरण, सम्बन्धित के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न हो जो इनका कार्यकाल बढ़ाये जाने में बाधक हो एवं सम्बन्धित से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कि इनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद नहीं है, के आधार पर कार्यकाल सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 01 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकेगा।

(12) लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से चयनित/नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर इनकी संविदा सेवायें स्वतः समाप्त मानी जायेंगी।

(13) नर्सिंग शिक्षकों के समस्त प्रमाण पत्रों व अर्हता के दस्तावेजों का भली-भांति सत्यापन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों के अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्रों की जांच पैतृक/पूर्व संबंधित संस्थाओं/कालेजों से करा ली जायेगी।

2- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 का शासनादेश संख्या-156537/71-1005(001)/20/2021, दिनांक 15.04.2022 में निर्धारित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से

Signed by मनोज कुमार
(मनोज कुमार)
Date 27-01-2023 17:27:53
विशेष सचिव
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर को अपने स्तर से कार्यभार ग्रहण कराने हेतु तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, -अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/ शाहजहांपुर।
4. प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, नर्सिंग कालेज, -अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/ शाहजहांपुर।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, यथा-अयोध्या/बस्ती/बहराइच/ फिरोजाबाद/ शाहजहांपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहांपुर।
7. संबंधित नर्सिंग शिक्षकगण।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

UO-2023

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–1/2023/391-92 लखनऊः दिनांक 14 फरवरी,2023

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पदों पर संविदा के आधार पर तैनात किये गये अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण कराते हुये उसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

1– प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद तथा शाहजहांपुर।

2– सम्बन्धित कर्मचारीगण द्वारा ई–मेल।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-I/267786/71-3-2023
लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि फेज-1 के अन्तर्गत संचालित 05 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों, यथा-अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहाँपुर में नर्सिंग कालेजों के शैक्षणिक पदों, यथा-एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर को संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एन0ई0-1/2023/73, दिनांक 06.01.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त संलग्न सूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार (एसोसिएट प्रोफेसर के 05 पद तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर के 12 पद) अर्थात कुल 17 अभ्यर्थियों को एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर संविदा के आधार पर योगदान देने की तिथि से 02 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए नियुक्त/तैनात किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त हैं:-

(1) संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकगण यथा एसोसिएट प्रोफेसर को रू0 80,000/- तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर को रू0 70,000/- नियत मानदेय प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा।

(2) संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले शैक्षणिक कार्मिकों को वही मानदेय प्रदान किया जायेगा जो शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(3) ड्यूटी 8 घण्टे की होगी। किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।

(4) संविदा कार्मिकों को आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात देय होंगे।

(5) महिला संविदा कर्मियों को मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 के तहत 180 दिन का अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।

(6) यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(7) सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

(8) संविदा छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।

(9) संविदा कर्मी सेवा में विनियमितीकरण, स्थायीकरण, पेंशन, बोनस आदि सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे।

(10) संविदा कार्मिक की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।

(11) संविदा कार्मिक का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। सेवा संतोषजनक होने और आवश्यकता होने पर कार्य एवं आचरण, सम्बन्धित के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न हो जो इनका कार्यकाल बढ़ाये जाने में बाधक हो एवं सम्बन्धित से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कि इनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद नहीं है, के आधार पर कार्यकाल सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 01 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकेगा।

(12) लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से चयनित/नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर इनकी संविदा सेवायें स्वतः समाप्त मानी जायेंगी।

(13) नर्सिंग शिक्षकों के समस्त प्रमाण पत्रों व अर्हता के दस्तावेजों का भली-भांति सत्यापन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों के अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्रों की जांच पैतृक/पूर्व संदर्भित संस्थाओं/कालेजों से कर ली जायेगी।

2- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 का शासनादेश संख्या-156557/71-1005(001)20/2021, दिनांक 15.04.2022 में निर्धारित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से

Signed by संतोष कुमार
(संतोष कुमार)
Date: 27-01-2023 17:27:49
विशेष सचिव।
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर को अपने स्तर से कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, -अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहांपुर।
4. प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, नर्सिंग कालेज, -अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/ शाहजहांपुर।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, यथा-अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/ शाहजहांपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या/बस्ती/बहराइच/फिरोजाबाद/शाहजहांपुर।
7. संबंधित नर्सिंग शिक्षकगण।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

UO-2023

शासनादेश संख्या-I/267786 दिनांक 30 जनवरी, 2023 का संलग्नक:-

क्रमांक	पदनाम		अभ्यर्थी का नाम	तैनाती स्थल
1	2		3	4
(अ)	एसोसिएट प्रोफेसर	1	JANJANAM RENUKA	Nursing College- Firozabad
		2	PRADEEP KUMAR	Nursing College-Ayodhya
		3	VISANTH V S	Nursing College-Basti
		4	NISHA.G	Nursing College-Shahjahanpur
		5	GAGAN VERMA	Nursing College-Bahraich
(ब)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (सामान्य वर्ग)	1	ERAM ANSARI	Nursing College-Shahjahanpur
		2	ANJALI SHUKLA	Nursing College-Ayodhya
		3	PUSHPA TIWARI	Nursing College-Bahraich
		4	RAVIKANT SHARMA	Nursing College-Firozabad
		5	SUSHMITA CHAUDHARI	Nursing College-Basti
	(अन्य पिछड़ा वर्ग)	6	SHILPI VERMA	Nursing College-Bahraich
		7	ABHIJA P V	Nursing College-Shahjahanpur
		8	PRIYANKA YADAV	Nursing College-Ayodhya
		9	VERSHA RANI VERMA	Nursing College-Firozabad
		10	RAHUL PANWAR	Nursing College-Basti
	(अनुसूचित जाति वर्ग)	11	NITESH DHIMAN	Nursing College-Firozabad
		12	SHANKAR PRADHAN	Nursing College-Ayodhya

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।